

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/1120
प्रति,

भोपाल दिनांक 16/10/2018

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन,
तुलसी नगर, भोपाल

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./4113-2016/एम.आर./-4/860 दिनांक 17.09.2018


—000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री आर० डी० प्रजापति, भृत्य	08	राशि रूपयें 33,802=00 (शब्दों में रूपयें तैंतीस हजार आठ सौ दो मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित


(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/1119
प्रति,

भोपाल दिनांक 16/10/2018

कार्यालय जिला एवम् सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./5597/तीन-13-29/14 दिनांक 11.09.2018


—000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री पी.एन. पाराशर, सेवानिवृत्त	01	राशि रूपयें 1,707=00 (शब्दों में रूपयें एक हजार सात सौ सात मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित


(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुडा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/1118
प्रति,

भोपाल दिनांक 16/10/2018

कार्यालय, उप-नियंत्रक,
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
अरेरा हिल्स, मैदामिल रोड
भोपाल

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./लेखा/चि.प्र.पू./2018-19/3613 दिनांक 06.09.2018


—000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	रियाज मोहम्मद, जूनियर रीडर	06	राशि रूपये 26,400=00 (शब्दों में रूपये छब्बीस हजार चार सौ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित


(डॉ. अचना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/1117
प्रति,

भोपाल दिनांक 16/10/2018

कार्यालय, उप-नियंत्रक,
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
अरेरा हिल्स, मैदामिल रोड
भोपाल

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./लेखा/चि.प्र.पू./2018-19/3613 दिनांक 06.09.2018


—000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री अविनाश फसाटे, सहा.श्रेणी-2	17	राशि रूपयें 1,21,087=00 (शब्दों में रूपयें एक लाख इकीस हजार सतासी मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित



(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/1116 भोपाल दिनांक 16/10/2018
प्रति,

कार्यालय अधीक्षक,
म.प्र. स्टेट गैरेज जहांगीराबाद,
भोपाल

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./465/लेखा/2018 दिनांक 06.09.2018


—000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री साहेवराव खरात वा.चा.	01	राशि रूपयें 26,220-00 (शब्दों में रूपयें छब्बीस हजार दो सौ बीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित


(डॉ. अचना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क. / 4 / एम.आर. / सेल-1 / द्वि.अ. / एफ 01 / 1115 भोपाल दिनांक 16/10 / 2018
प्रति,

कार्यालय क्षेत्रीय संचालक द्वारा लेखा अधिकारी,
आवासीय आयुक्त कार्यालय म.प्र. शासन म.प्र. भवन, 02
लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई मार्ग चाणक्यपुरी नई दिल्ली।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क. / द्व.अभि. / 11432-34 / 2018 दिनांक 01.09.2018


—000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	1. श्री हीरा सिंह रावत अनुभाग अधिकारी 2. डॉ. अजय मणि तिवार, चिकित्सा अधिकारी 3. श्री लालू राम, भृत्य	03	राशि रूपयें 42,059=00 (शब्दों में रूपयें ब्यालीस हजार उनसठ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित


(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/ 1114 भोपाल दिनांक 16/10 /2018
प्रति,

अपर जिला न्यायाधीश
न्यायाधीश वर्ग-2 रतलाम
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./2392/लेखा/2018 दिनांक 21.08.2018


—000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री अतुल यादव षष्ठम व्यवहार, न्यायाधीश वर्ग-2 रतलाम	01	राशि रूपयें 71,351=00 (शब्दों में रूपयें इकहतर हजार तीन सौ इक्यावन मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित


(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/1113
प्रति,

भोपाल दिनांक 16/10/2018

अपर जिला न्यायाधीश
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./2372/लेखा/2018 दिनांक 20.08.2018


—000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री मृत्युजंय सिंह	01	राशि रूपयें 10,854=00 (शब्दों में रूपयें दस हजार आठ सौ चौवन मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित


(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/1112
प्रति,

भोपाल दिनांक 16/10/2018

म.प्र उच्च न्यायालय, इंदौर खण्डपीठ,
इंदौर

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./1629/चिकित्सा प्रतिपूर्ति/2018 दिनांक 07.08.2018


—000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रं० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री मुकेश मकवाने, भृत्य	01	राशि रूपयें 2,813=00 (शब्दों में रूपयें दो हजार आठ सौ तेरह मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित


(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/1111
प्रति,

भोपाल दिनांक 16/10/2018

कार्यालय सेनानी प्रथम वाहिनी दिसबल
इंदौर

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./जी-3608/2018 दिनांक 14.08.2018


— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री राकेश चौहान, प्र०आर०	03	राशि रूपयें 22,138=00 (शब्दों में रूपयें बाईस हजार एक सौ अड़तीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित



(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/1110 भोपाल दिनांक 16/10/2018
प्रति,

अपर जिला न्यायाधीश
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रतलाम

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./2247/चिकित्सा प्रतिपूर्ति/2018 दिनांक 07.08.2018


— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री मृत्युंजय सिंह	01	राशि रूपयें 55,400=00 (शब्दों में रूपयें पचपन्न हजार चार सौ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित


(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/1109 भोपाल दिनांक 16/10/2018
प्रति,

अपर जिला न्यायाधीश
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रतलाम

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./2172/चिकित्सा प्रतिपूर्ति/2018 दिनांक 31.07.2018


— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना कं० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

कं०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	कु. सुनिता बालो, सेवानिवृत्त	01	राशि रूपये 11,910=00 (शब्दों में रूपये ग्यारह हजार नौ सौ दस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित


(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/1108 भोपाल दिनांक 16/10/2018
प्रति,

अपर जिला न्यायाधीश
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रतलाम

विषय:— चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./2211/चिकित्सा प्रतिपूर्ति/2018 दिनांक 03.08.2018


— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	कृ. सुनिता बालो, सेवानिवृत्त	01	राशि रूपये 28,160=00 (शब्दों में रूपये अट्ठाइस हजार एक सौ साठ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित


(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमत्तल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/1107 भोपाल दिनांक 16/10/2018
प्रति,

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल
अधीक्षक जिला झाबुआ म.प्र.

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./मेडि0बिल/2018/2523 दिनांक 07.08.2018


— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री प्रवेश सक्सेना, रेडियोग्राफर	01	राशि रूपयें 1,32,000=00 (शब्दों में रूपयें एक लाख बत्तीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित


(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/1106 भोपाल दिनांक 16/10/2018
प्रति,

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (लेखा)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./पुमु/8/लेखा/मेडि/5/1702/2018 दिनांक 30.05.2018


— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री श्यामराव पाटिल	01	राशि रूपयें 5,042=00 (शब्दों में रूपयें पांच हजार बयालीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित


(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/1105
प्रति,

भोपाल दिनांक 16/10/2018

लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश
लोकायुक्त भवन
भोपाल
दूरभाष-2545572

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./781/स्थापना/2018 दिनांक 08.08.18


— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्रीमती उमा देशभ्रतार, निज सचिव	01	राशि रूपयें 20,050=00 (शब्दों में रूपयें बीस हजार पचास मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित


(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/1104 भोपाल दिनांक 16/10/2018
प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला भिण्ड (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./लेखा/11606/2018 दिनांक 31.07.2018


— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना कं० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

कं०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	डॉ. विजय शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल लहार, जिला भिण्ड	01	राशि रूपयें 1,90,897=00 (शब्दों में रूपयें एक लाख नब्बे हजार आठ सौ सतानवे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित


(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश